राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 67 / 2013

ब्रिज रत्न स्वामी –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (प्रारम्भिक), शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 21.05.2013
आदेश की दिनांक : 20.11.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेन्द्र मुलेवा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री यशवंत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि उसके राजकीय सेवाकाल दिनांक 12.09.1992 से, जिस दिन से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को नियुक्ति प्रदान की गई थी, से गिने जाने और समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान करने एवं अपीलार्थी को वेतन श्रृंखला 9300–34800 पे–स्केल में ग्रेड–पे 3200/– में वेतन नियतन करने और वेतन नियतन के एरियर का भुगतान किया जावें। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह ने बताया कि अपीलार्थी को समस्त सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान किया जा चुका है और विभाग की ओर से कोई भी अनुतोष अपीलार्थी के संबंध में शेष नहीं रह जाता है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने भी इस संबंध में अपनी सहमति व्यक्त की। लिहाजा, अब कोई अनुतोष शेष नहीं रहने से अपील सारहीन होने के आधार पर निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य